



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228602
CG-DL-E-30072021-228602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2829]
No. 2829]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3051(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1552(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए के कि.मी. 16+000 से कि.मी. 35+000 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के कि.मी. 15+000 से कि.मी. 34+400 (किशनगढ़ से गुलाबपुरा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01.05.2021" को "दैनिक भास्कर" और "दैनिक नवज्योति" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए के 16+ 000 कि.मी. से 35+000 कि.मी. तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 15+000 कि.मी. से 34+400 कि.मी. (किशनगढ़ - गुलाबपुरा सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: अजमेर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नसीराबाद				
	गांव का नाम: दिलवाडी				
1	1243/2426	निजी	गै.मु. मैदान	0.02	केसरदेवी पत्नि उगमाराम हिस्सा-पूर्ण जाति गुर्जर सा. देवनगर खातेदार ()
	गांव का नाम: लवेरा				
2	522	निजी	गै.मु. मैदान	0.02	सुशीलादेवी मून्दडा पत्नि रमेशचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा. कठसूरा तहसील किशनगढ़ खातेदार ()
			कुल	0.04	

[फा. सं. NHAI/15022/2/2010/ROJ/LA/2419/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3051(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1552(E), dated 12 April, 2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 79A on the stretch of land from Km. 16+000 to Km. 35+000 and National Highway No. 79 on the stretch of land from Km. 15+000 to Km. 34+400 (Gulabpura to Chittorgarh section) in the District of Bhilwara in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and Dainik Navjoyti” both dated the 01.05.2021 ; under sub-section (3) of section 3A of said Act;

And whereas, objections have been received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 16+000 to Km. 35+000 of National Highway No. 79A and Km. 15+000 to 34+400 of National Highway No. 79 (Kishangarh-Gulabpura Section) in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: AJMER			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nasirabad				
	Village: Dilwari				
1	1243/2426	Private	Ge.Mu. Medan	0.02	Kesar Devi w/o Ugaram Hissa full cast Gujar sa Devnagar khatedar
	Village: Lavera				
2	522	Private	Ge.Mu.Medan	0.02	Suseela devi Mundra w/o Rameshchand Hissa Full cast Mhajan saa Kathusura tehsil Kishangarh Khatedar
			TOTAL	0.04	

[F. No. NHAI/15022/2/2010/ROJ/LA/2419/3D]

RAJESH GUPTA, Director